13385/23

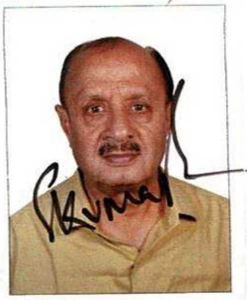 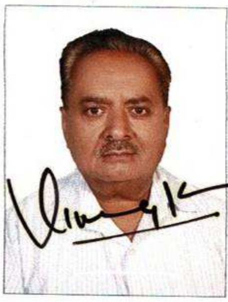

विक्रय–पत्र

पृष्ठ–72 के क्रमांक 310 के प्रारूप–4 के वी0कोड 1301
बाजारी कीमत–6,01,000/–रू0, स्टाम्प–1,89,000/–रू0
दर–65 लाख +10 प्रतिशत प्रति हे0

ई स्टाम्प संख्या–IN-UP70320694306890V

1–	भूमि का प्रकार	–	कृषि
2–	परगना	–	जमौर
3–	ग्राम	–	नवादा इन्देपुर
4–	सम्पत्ति का विवरण	–	गाटा सं0–8
5–	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	0.506 हे0 में से 0.084 हे0
6–	क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।		
7–	सड़क की स्थिति	–	मुख्य सड़क से करीब 500मी0दूर
8–	प्रतिफल	–	26,88,000/– रूपया

विवरण चौहद्दी :–

पूरब	–	खेत अजय अग्रवाल डायरेक्टर क्रेता कम्पनी
पश्चिम	–	खेत सुशील कुमार कुमरा आदि
उत्तर	–	चकमार्ग (6 मीटर से कम चौडा)
दक्षिण	–	खेत सुशील कुमार कुमरा आदि

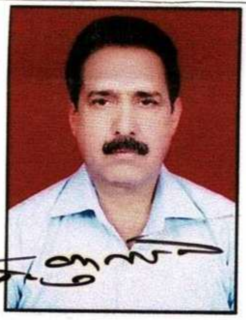

सत्यमेव जयते
उ० प्र०

सुशील कुमार कुमरा व विनय कुमार कुमरा पुत्रगण राम मोहन सिंह कुमरा निवासीगण मोहल्ला दीवानजोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर व दीपक मेहरोत्रा पुत्र गोपाल कृष्ण मेहरोत्रा निवासी मोहल्ला मुजफ्फरगंज शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0–9415035527, 9415119717, 7523968260 पैन नं0–ABOPK4221G, ABOPK4222F, ABDPM1736F

.... **प्रथम पक्ष**

एवं

एस0पी0के0एन0 एण्ड सन्स प्रा0लि0 अजीजगंज शहर व जिला शाहजहांपुर द्वारा डायरेक्टर अजय अग्रवाल पुत्र स्व0 किशन कुमार अग्रवाल निवासी श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शहर व जिला शाहजहांपुर। पैन नं0–ABDCS6704J मो0–8052800000

...............**द्वितीय पक्ष**

जो कि आराजी काश्त संक्रमणीय भूमिधर स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहांपुर जिसका गाटा संख्या 8 रकबा 0.506 हे0 हम प्रथम पक्ष की है, उक्त आराजी हम प्रथम पक्ष के वास्तविक कब्जे व दखल में है मौके पर खसरा संख्या 4, 5, 6 एवं 8 आपस में लगे हुये है और ही सीमा के अन्तर्गत मौजूद है जिसमें से खसरा 8 हम प्रथम पक्ष का कुल भाग है जिसका प्रथम पक्ष तन्हा काश्तकार भूमिधर है उक्त आराजी का निकास चकरोड से होकर है विगत कई वर्ष पूर्व हम प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि का उपयोग अकृषिक भूमि के रूप में करने के उद्देश्य से उक्त भूमि को औद्योगिक भूमि

आवेदन सं०: 202300795005516

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 2688000 स्टाम्प शुल्क- 189000 बाजारी मूल्य - 601000 पंजीकरण शुल्क - 26880 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 26940

श्री अजय अग्रवाल ,
पुत्र श्री स्व० किशन कुमार अग्रवाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 03/05/2023 एवं 12:20:09 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार गुप्ता
उप निबंधक :सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

प्रिंट करें

घोषित करा लिया था लेकिन कभी भी उक्त भूमि पर कोई उद्योग नहीं लगा और न ही उक्त भूमि का अकृषिक भूमि के रूप में कोई इस्तेमाल किया गया लेकिन एक बार अकृषिक भूमि घोषित हो जाने के उपरान्त उक्त विवरण खतौनी में दर्ज चलता रहा जबकि मौके पर वास्तव में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं लगा और न ही उक्त भूमि का कोई उपयोग अकृषिक कार्यो में किया गया और न ही कभी उक्त भूमि का उपयोग आवासीय भूमि के रूप में किया गया। हम प्रथम पक्ष उक्त भूमि के एक अंश कि जिसका विवरण इस दस्तावेज के अन्त में दिया गया है का विक्रय करना चाहते है तथा द्वितीय पक्ष उक्त भूमि 26,88,000/— रूपये में खरीदने को तैयार व रजामन्दर है। इससे अधिक कीमत देने के लिए कोई भी अन्य खरीददार तैयार नहीं है लिहाजा हम प्रथम पक्ष ने अपनी कुल आराजी काश्त में से 0.084 हे0 काश्त को खूव सोच व समझ कर अपनी स्वस्थ चित एवं इन्दियों की अवस्था में बिना किसी जोर व दबाब के वदस्त द्वितीय पक्ष से मु0 26,88,000 रूपया कि आधे जिसके मु0 13,44,000/— रूपया होते है में विक्रय कर दी तथा कुल कीमत इस दस्तावेज के अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष को अपने समान समस्त अधिकारों सहित मालिक काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल वाकई मौके पर दे दिया अब हम प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिसान या कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रीत सम्पत्ति की बावत नही रहा और यदि कोई हम

आवेदन सं०: 202300795005516

विक्रेता: 1

श्री सुशील कुमार कुमरा, पुत्र श्री राम मोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2

श्री विनय कुमार कुमरा, पुत्र श्री राम मोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 3

श्री दीपक मेहरोत्रा, पुत्र श्री गोपाल कृष्ण मेहरोत्रा

निवासी: मो0 मुजफ्फरगंज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

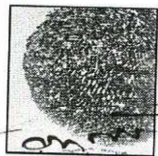

क्रेता: 1

श्री अजय अग्रवाल, पुत्र श्री स्व० किशन कुमार अग्रवाल

निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री कमल कुमार, पुत्र श्री सुखवीर

निवासी: मो0 खिरनीबाग शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

प्रथम पक्ष का सहीम शरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा बातिल व नाजायज होगा और यदि ऐसे किसी विवाद के कारण विक्रीत सम्पत्ति का कुल या जुज भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे व दखल से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित हम प्रथम पक्ष व वारिसान हमारे की जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष व हमारे वारिसान को कोई उज्र या इन्कार नही होगा। यह कि उक्त आराजी का उपयोग कभी भी औद्योगिक/आवासीय कार्यों के लिये नही किया गया और अकृषिक घोषित होने के उपरान्त भी जब उसका उपयोग अकृषिक भूमि के रूप में नही रहा था तो राजस्व कर्मचारियों का भी दायित्व था कि उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों मे अकृषिक के स्थान पर कृषि भूमि धारा 144 यू0पी0 जेड0ए0एण्ड एल0आर0 एक्ट के तहत स्वतः कर देते और उनका स्वयं का दायित्व था कि मौके को देखकर राजस्व अभिलेख सही कर देते। लेकिन उनके द्वारा अभी तक ऐसा नही किया गया है उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में ही प्रयोग की जा रही है। उक्त आराजी काश्त विकासशील ग्राम की सूची में आती है जिस पर श्रीमान कलेक्टर शाहजहाँपुर द्वारा उत्तर प्रदेश (वैल्यूशन आफ प्रापर्टी नियमावली 1997 के अन्तर्गत बनाई गयी मूल्यांकन सूची जो दिनाँक 26.09.2022 से प्रभावी है के अनुसार कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन सूची के पृष्ठ–72 के क्रमांक 310 के प्रारूप–4 के वी0कोड 1301 की दर 65,00,000/– रूपया प्रति हे0 निर्धारित है परन्तु आराजी काश्त

श्री राजीव , पुत्र श्री बद्रीनाथ

निवासी: ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी तहसील सदर शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :स्टाम्प कमी

पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

प्रिंट करें

उप निबन्धक सदर, जिला-शाहजहाँपुर
सत्यमेव जयते
उ० प्र०

चकमार्ग पर स्थित होने के कारण 10 प्रतिशत बृद्धि करने के अनुसार मूल्यांकन किये जाने पर उसकी कुल बजारी मूल्य मु0 6,01,000/– रूपया होती है लेकिन उक्त सम्पत्ति का विक्रय मु0 26,88,000/– रूपया में किया जा रहा है जो विक्रय मूल्य श्रीमान कलेक्टर शाहजहांपुर द्वारा बनायी गयी मूल्यांकन सूची में दिये गये मूल्यांकन से अधिक है इस कारण स्टाम्प अधिनियम के शेडयूल–1बी के अनुच्छेद 23(क) के अनुसार विक्रय प्रतिफल पर स्टाम्प विक्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है। लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विवरण अदायगी प्रतिफल

समस्त प्रतिफल मु0 26,88,000/– रूपया निम्न अनुसार अदा किया गया।

चेक सं0	धनराशि	दिनांक	बैंक
286499	896000	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक सुशील कुमार कुमरा
286500	896000	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक विनय कुमार कुमरा
286547	896000	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक दीपक मेहरोत्रा

नोट :– क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति

Kumar Vinay K Deepak Ajay Agarwal

उप निबन्धक

31 क

आधार समझौता

1. यह कि दावा वादी बावत याचना (अ) आज्ञप्त माना जावेगा तथा बैनामा दिनांक 22.12.2015 इकरारी निरंजन सिंह बहक प्रतिवादी संख्या 2 शकील अहमद निरस्त माना जावेगा तथा इसकी सूचना कार्यालय उप निबंधक शाहजहाँपुर को इस आदेश के साथ भेज दी जायगी कि वह इस तथ्य की प्रविष्टि अपने अभिलेखो मे कर देगे।
2. यह कि विवादित बैनामे के संबंध मे स्टाम्प वाद संख्या 141 सन 2015 सरकार बनाम शकील अहमद तारीख फैसला 04.01.2016 मे पारित निर्णय के अनुसार विवादित बैनाम के संबंध मे जो कमी स्टाम्प का आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार रू 5,33,590/- एव इस धनराशि पर ब्याज राज्य सरकार को अदा किया जाना है। उक्त रकम की अदायगी वादीगण, प्रतिवादीगण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से अदा कर देंगे ताकि भविष्य में कोई विवाद स्टाम्प शुल्क का शेष न बचे।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 मूल बैनामा कार्यालय उप निबंधक शाहजहाँपुर से प्राप्त कर वादीगण को सौंप देगा।
4. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त बैनामे के संबंध में देय कमी स्टाम्प की रकम जो वादीगण द्वारा अदा कर दी जावेगी को सरकार से वापस प्राप्त करने के लिये वादीगण के सहयोग से समुचित कार्यवाही करेगा और इस कार्यवाही पर होने वाला व्यय वादीगण वहन करेगें और इस संबंध में यदि कोई रूपया राज्य सरकार से वापस प्राप्त होगा तो इस धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण होंगे और इस समस्त कार्यवाही मे प्रतिवादी संख्या 2 अपना पूरा सहयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर मुख्तयारनामा लिखकर वादीगण को सौंप देगा।
5. यह कि पक्षकारों के मध्य जो भी फौजदारी के वाद चल रहे हैं उन्हें भी पक्षकार आपसी सहयोग से समाप्त करा लेंगे।
6. यह कि वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

वादीगण

1. Mohd. Raees Khan
2. Smt.Pramila Devi
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra
4. Smt.Sidh Shri
5. Ajay Kumar Gupta
6. Manish Khiloria
7. Ranjeev Khiloria
8. Raghveer Sharan
9. Smt.Jitendra Saxena
10. Vishwadhar Mishra

Through
Budhpal Singh
Advocate

10-11-22

Budh Pal Singh
Advocate
Collectrate, Shahjehanpur
Reg. No. 7509/92

प्रतिवादीगण

1. Niranjan Singh
2. Shakeel Ahmad

Through
Counsel

द्वारा- कुलदीप श्रीवास्तव एड०

कुलदीप श्रीवास्तव
रजि० न०-1P2659/16 एडवोकेट
जजेस कोर्ट, शाहजहाँपुर
मो०.8090649175

सत्यमेव जयते

उप निबन्धक
सदर- शाहजहाँपुर

Signature ...[signature]...
ACC Name- Smt. Vimlesh Yadav
ACC Code- UP14170504
ACC Address- Moh. Bharat Dwaji
Mobile No.-9454585869,7985754879
License No. 11/2014 Tehsil & District
Shahjahanpur U.P.

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP70320694306890V**
Certificate Issued Date	:	27-Mar-2023 01:51 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14170504/ SHAHJAHANPUR SADAR/ UP-SJH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14170504324983917833385V
Purchased by	:	SPKN AND SONS PVT LTD BY DIRECTOR AJAY AGARWAL
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	AGRICULTURAL LAND SITUATED AT VILLAGE-NAWADA INDEPUR TEHSIL-SADAR DISTT-SHAHJAHANPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	VINAY KUMAR KUMRA SO RAM MOHAN KUMRA AND OTHERS
Second Party	:	SPKN AND SONS PVT LTD BY DIRECTOR AJAY AGARWAL
Stamp Duty Paid By	:	VINAY KUMAR KUMRA SO RAM MOHAN KUMRA AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,89,000 (One Lakh Eighty Nine Thousand only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

189000

JD 0040608014

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

संधि पत्र

आज पर संधि पत्र वादी गण मोहम्मद रईस खाँ, श्रीमती विमला देवी, श्रीमती कृष्णा कान्ती मिश्रा उ॰ कृष्णा मिश्रा, श्रीमती सिद्ध श्री, प्रताप कुमार गुप्ता, मनीष खिलौरिया द्वारा मुख्तार आम रजीव खिलौरिया, रजीव खिलौरिया, रघुवर शरण द्वारा मुख्तार आम मोहम्मद रईस खाँ, श्रीमती जितेन्द्र सक्सेना, व विश्वा धार मिश्रा की शनाख्त श्री बुधपाल सिंह एड॰ व प्रतिवादी गण निरंजन सिंह व शकील अहमद की शनाख्त उनके अधिवक्ता श्री कुलदीप श्रीवास्तव एड॰ द्वारा किया गया। संधि पत्र पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया। संधि पत्र तस्दीक पक्षकारों की ओर से स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर की गयी।

14/11/22

Rais
विमलादेवी
रघुवीर शरण
प्रताप कुमार गुप्ता
मनीष खिलौरिया
सिद्ध श्री
रजीव खिलौरिया

Niranjan Singh
शकील अहमद
Identify Signature of Mr. Niranjan and Shakeel Ahmad
14.11.22
(कुलदीप श्रीवास्तव एड॰)

उप निबन्धक सदर, जिला-शाहजहाँपुर
सत्यमेव जयते
उ॰ प्र॰

कृष्णा कान्ती मिश्रा
जितेन्द्र सक्सेना
विश्वा धार मिश्रा

उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

Identified all
B Singh Adv
14-11-22
(Budh Pal Singh) Ad

नजरी नक्शा बिक्रीत आराजी संक्रमणीय भूमिधरी

स्थित ग्राम– नवादा इन्द्रपुर परगना प्रान्त
तहसील सदर जिला–शाहजहांपुर

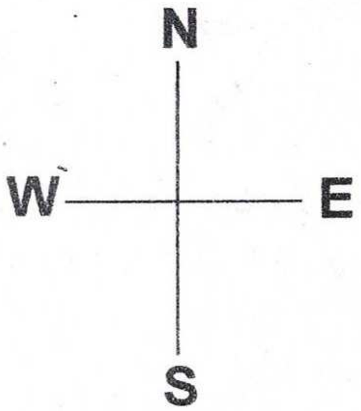

ता०पेशी- 18/11/22

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION SHAHJAHANPUR

Original Suit No. 283 of 2018

1. Mohd. Raees Khan S/o Mohd. Shafi Khan R/o Mohalla Dilajak, Shahjahanpur.
2. Smt. Pramila Devi W/o Shri Braj Kishore Mishra R/o Quarter No.1-H-45, Double storey Factory Estate, Shahjahanpur.
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra W/o Shri Gopesh Mishra R/o Village Pena Bujurg, Pargana & Tehsil Sadar Shahjahanpur.
4. Smt. Sidh Shri W/o Shri Sita Ram R/o Sainik Colony, Near Deep dairy Shahjahanpur
5. Ajay Kumar Gupta S/o Shri Ram Kumar Vaishya R/o Quarter No.291/2, Nehru Road, Factory Estate, Shahjahanpur.
6. Manish Khiloria S/o Shri Suresh Prasad Khiloria R/o Factory Estate, Shahjahanpur.
7. Ranjeev Khiloria S/o Shri Shiv Shankar Prasad Saxena R/o Factory Estate, Shahjahanpur.
8. Raghveer Sharan S/o Shri Kadel Singh R/o Village Mudiria Ahband Pargana Pasgawan, Tehsil Mohamdi Shahjahanpur.
9. Smt. Jitendra Saxena W/o Shri Praveen Kumar Saxena R/o Mohalla Dilajag, Cantt, Shahjahanpur.

Vishwadhar Mishra S/o Shri Shivadhar Mishra R/o 2, Civil Lines, Shahjahanpur.

--------- Plaintiffs

1. Niranjan Singh S/o Late Hazara Singh R/o 307/4 J. Type Factory Estate, Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.
2. Shakeel Ahmad S/o Late Rafee Ullah R/o Mohalla Tareen Jalalnagar Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.

--------- Defendants

श्रीमान जी,

उपरोक्त वाद मे सादर निवेदन है कि उभय पक्षकारगण के मध्य समाज के चंद भले लोगों ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया है और पक्षकार अब मुकदमा नहीं लड़ना करना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत फहमीवश विवादित बैनामा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 22.12.2015 को कर दिया था। लेकिन अब सही तथ्यों का ज्ञान हुआ है। विवादित सम्पत्ति का बैनामा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सरदार हजारा सिंह ने दिनांक 09.01.1987 को कर दिया था और विवादित सम्पत्ति की बावत प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही हुये थे।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त मूलवाद निम्न समझौते के आधार पर निर्णीत कर समझौते को आज्ञप्ति का अंश बनाने की कृपा करें।

उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

8.

फोटोग्राफ आराजी काश्त

स्थित मोहल्ला / ग्राम– नावादा रुद्रपुर परगना जमौर

तहसील सदर जिला–शाहजहाँपुर

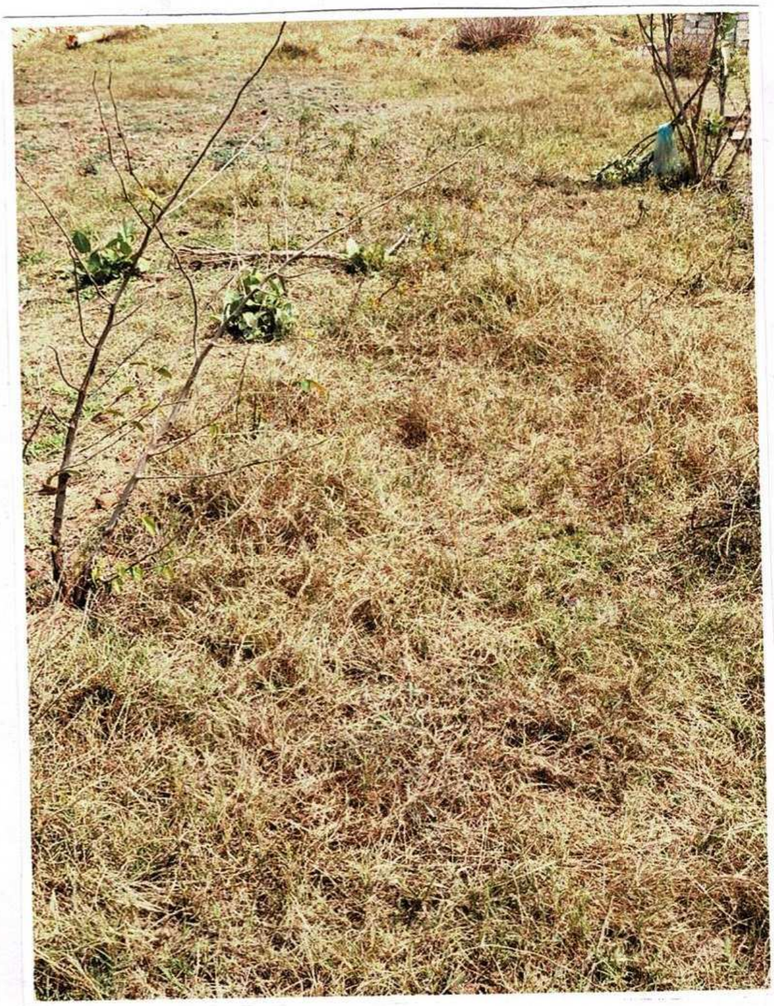

14-2-23

उप निबन्धक सदर-शाहजहाँपुर

UPSH050026242018

39 क

न्यायालयः सिविल जज(सीनियर डिविजन), शाहजहाँपुर

मोहम्मद रईस खान आदि निरंजन सिंह आदि

मूलवाद संख्या– 283/2018

(CNR No.- UPSH050026242018)

दिनांक– 20.12.2022

निस्तारण समझौतानामा– 30 क

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष जरिये विद्वान अधिवक्तागण उपस्थिति आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा–30 क पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

समझौतानामा–30 क मय शपथपत्र 35 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चन्द भले लोगों ने समझौतानामा–30 क में वर्णित शर्तों के आधार पर आपस में सुलह समझौता हो गया है। उभयपक्ष खर्चा मुकदमा अपना–अपना वहन करेंगे।

उभयपक्ष द्वारा समझौतानामा–30 क की शर्तों को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। दिनांक 14.11.2022 को वादीगण मोहम्मद रईस खान आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बुधपाल सिंह व प्रतिवादीगण निरंजन सिंह आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा समक्ष न्यायालय तस्दीक किया गया है। पक्षकारों को समझौतानामा न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया है। पक्षकारों के द्वारा समझौतानामा–30 क को स्वीकार किया गया है एवं कोई आपत्ति नहीं की गयी।

उभयपक्ष की शिनाख्त जरिये अधिवक्ता किये जाने पर समझौतानामा–30 क न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2022 को तस्दीक किया गया। समझौतानामा एवं उभयपक्ष के अभिकथनों से राजीनामा दुरभिसंधि पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः राजीनामा/समझौतानामा–30 क की शर्तों के आधार पर दावा आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

समझौतानामा–30 क के आधार पर दावा वादीगण आज्ञप्त किया जाता है। समझौतानामा–30 क मय आधार समझौता 31 क आज्ञप्ति का अंश होगा। यह निर्णय केवल पक्षकारों एवं उनके विधिक प्रतिनिधि पर ही प्रभावी होगा। इस निर्णय के प्रभाव स्वरूप अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इस निर्णय के प्रभावस्वरूप किसी सरकारी सम्पत्ति का अन्तरण होगा, न उससे किसी स्वत्व का सृजन ही होगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का कोई भी प्रभाव अवयस्क पक्षकारों के वयस्कता पर प्राप्त उनके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के प्रभावस्वरूप सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं भूमि व राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित वांछित विधिक प्रक्रिया व देय राजस्व पर इस निर्णय का किसी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमानुसार डिक्री बनायी जाये एवं इस आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, जनपद शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रेषित हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

20.12.22

(हितेश अग्रवाल),
सिविल जज (सीनियर डिविजन),
शाहजहाँपुर।
(J.O. Code- UP2060)

उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

के नहीं हैं। काश्त सीलिंग व पट्टे की नहीं है। काश्त में पेड़, बोरिंग या कुआँ आदि नहीं है।

गवाह–1 कमल कुमार पुत्र सुखवीर निवासी मोहल्ला खिरनी बाग शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0–9919214999

गवाह–2 राजीव पुत्र बद्रीनाथ निवासी ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी तहसील सदर जिला शाहजहांपुर। मो0–9956656535

मसविदा– आलोक कुमार मिश्र, (एडवोकेट) मो0–99935535799
टाईपकर्ता– अनुज शर्मा
दिनांक– 23.03.2023 ई0

Alok Kumar Mishra (Advocate)
Reg. No.-5798/07
Judges Court, Shahjahanpur
Mob.- 9935[redacted]799

आवेदन सं०: 202300795005516

मिनट बुक संख्या 6 द्वारा निबंधन की कार्यवाही स्थगित की गई ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

आवेदन सं०: 202300795005516

पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

मिनट बुक संख्या 25 द्वारा निबंधन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16090 के पृष्ठ 71 से 88 तक क्रमांक 13385 पर दिनाँक 30/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

As per order of ADM (F/R) Shahjahanpur dl- 06.07.2023

Certified that the amount required to make up the proper stamp duty is Rs,.. 381360/ in words Three lakh Eighty one thousand Three hundred Sixty only.

and a penalty of Rs 4000/ in words Four thousand only

and Registration 56690/ in words Fifty four thousand Six hundred only

and Interest (1.5% per month) Rs (17161+5720) 22881/ in words Twenty Two thousand Eight hundred Eighty one only

have been levied in respect of this instrument and have been paid by Ajay Agrawal S/o Kishan Kumar Agrawal R/o ... Sadar SPN.

Through Treasury Chalan No .. 000056 12.07.2023, 14E00152 14.08.2023

Dated............................

ADM F/R
Collector
Stamp. Shahjahanpur
17/8/23

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश यादव
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
30/08/2023